	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 22, गुरूवार, *शाके* 1941–मार्च 12, 2020 *Phalguna 22, Thursday, Saka 1941–March 12, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा, जिला– बाड़मेर

प्रपत्र - 7

(धारा 11 भू अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनतर्गत घोषणा एवं सार)

नियम 16 के उपनियम – (1) देखें

घोषणा

बालोतरा, मार्च 04, 2020

संख्या प.7(467)एस.एच.ए./पीपीपी/2019-20/डी 1825 :-भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की सिवाना-समदडी-बालेसर (एस. एच.-66) को ई.पी.सी मोड के अंतर्गत विकसित किए जाने हेतु लोक प्रयोजन के लिए बाड़मेर जिले के तहसील पचपदरा के कुल रकबा 4.1839 हेक्टयर भूमि की आवश्यकता है |

सामाजिक समाधान निर्धारण इकाई द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के विहित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक समाधान निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है |

अत: उपरोक्त परियोजना के लिए तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर स्थित4.1839 हेक्टयर भूमि अधिसूसित की जाती है प्रस्तावित भूमि का अर्जन का विवरण निम्नलिखित है :-

अनुसूची

सिवाना-समदडी-बालेसर (एस. एच.-66) राज्य राजमार्ग परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति की धारा-11, पचपदरा तहसील, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बालोतरा जिला-बाडमेर मे प्रभावित खसरों की सूची |

क्रं. सं	गाँव का नाम	तहसील	सर्वेक्षण संख्या (खसरा न.)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल है. मे)	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्रफल है. मे)	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी
1	नागाणा	पचपदरा	172	1.2903	गै.मु.भाकरी	0.063	सरकारी	राज. सरकार
2	नागाणा	पचपदरा	317/173	8.7736	गै.मु.औरण	0.2784	सरकारी	राज. सरकार
3	नागाणा	पचपदरा	290/154	50.0515	गै.मु.गौचर	1.9515	सरकारी	डोली बनाम मंदिर श्री जोगमाया वाके देह खातेदार

4	नागाणा	पचपदरा	296/156	8.4175	गै.मु.औरण	0.7150	सरकारी	राज. सरकार
5	नागाणा	पचपदरा	275/147	17.6443	गै.मु.औरण	0.3300	सरकारी	राज. सरकार
6	नागाणा	पचपदरा	256/114	8.8707	गै.मु.औरण	0.1689	सरकारी	राज. सरकार
7	नागाणा	पचपदरा	258/116	7.6242	गै.मु.पहाड़	0.1843	सरकारी	राज. सरकार (शमशान घाट चारागाह नहीं)
8	थूम्बली	पचपदरा	255/278	3.2618	गै.मु.औरण	0.2139	सरकारी	राज. सरकार
9	थूम्बली	पचपदरा	453/278	7.8671	गै.मु.औरण	0.2789	सरकारी	राज. सरकार

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) बालोतरा, के कार्यालय मे किसी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे किया जा सकेगा |

भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जालोर एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण, कार्य करने, अवमुद्दा के भीतर खोदने या बेधन करने तथा वह समस्त कार्य जो धारा 12 मे वर्णित है को करने के लिए अधिकृत करती है |

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति अधिसूचित भूमि के क्रय/विक्रय संबंधी कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना उपखंड अधिकारी पूर्वानूमती के नहीं करेगा l
इस अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिवस में यदि किसी हितबद्द पक्षकर को भूमि अर्जन को लेकर कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत आपत्ति उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें l

मनवर अली
उप सचिव (पथ)
सा.नि.वि. राज. जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।